बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण और वन मंत्रालय (Ministry of Environment and Forests-MOEF) के इको-सेंसटिवि ज़ोन (Eco-Sensitive Zone-ESZ) की वशिषज्ञ समतिकी 33वीं बैठक आयोजति हुई।

- इसमें बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के कुछ क्षेत्रों को इको-सेंसटिवि ज़ोन घोषति कयिा गया।

प्रमुख बदिु

- हाल में पर्यावरण और वन मंत्रालय की ESZ की वशिषज्ञ समतिकी बैठक में 5 नवंबर, 2018 के ड्राफ्ट नोटफिकिशन के आधार पर बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के आस-पास के लगभग 168.84 वर्ग कमिी. क्षेत्र को ESZ क्षेत्र घोषति कयिा गया।
- 2016 में जारी पहले ड्राफ्ट नोटफिकिशन से 268.9 वर्ग कमिी. का ESZ क्षेत्र चह्निति कयिा गया था।
- नए ESZ संरक्षति क्षेत्र की परधि 100 मीटर (बंगलुरु की ओर) से 1 कलिोमीटर (रामनगरम ज़लिे) तक होगी।
- ESZ कमेटी के अनुमान के अनुसार, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क में 150 से 200 के बीच हाथी देखे गए।

इको-सेंसटिवि ज़ोन

- इको-सेंसटिवि ज़ोन या पारस्थितिकि रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परविर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संरक्षति क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के अधसिूचति क्षेत्र हैं।
- इको-सेंसटिवि ज़ोन में होने वाली गतविधियाँ 1986 के पर्यावरण (संरक्षण अधनियिम) के तहत वनियिमति होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है।
- सामान्य सद्धिांतों के अनुसार, इको-सेंसटिवि ज़ोन का वसि्तार कसिी संरक्षति क्षेत्र के आसपास 10 कमिी. तक के दायरे में हो सकता है। लेकनि संवेदनशील गलयिारे, कनेक्टविटिी और पारस्थितिकि रूप से महत्त्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतकि संयोजन के लयि महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 कमिी. से भी अधकि क्षेत्र को इको-सेंसटिवि ज़ोन में शामलि कयिा जा सकता है।
- इको-सेंसटिवि ज़ोन के लयि घोषति दशिा-नरि्देशों के तहत नषिद्धि उद्योगों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है।
- ये दशिा-नरि्देश वाणज्यिकि खनन, जलाने योग्य लकड़ी के वाणज्यिकि उपयोग और प्रमुख जल-वद्यिुत परयिोजनाओं जैसी गतविधियों को प्रतबिंधति करते हैं।
- कुछ गतविधियाँ जैसे कपिेड़ गरिाना, भूजल दोहन, होटल और रसिॉर्ट्स की स्थापना सहति प्राकृतकि जल संसाधनों का वाणज्यिकि उपयोग आदि को इन क्षेत्रों में नयिंत्रति कयिा जाता है।
- इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास की गतविधियों को नयिंत्रति करना है ताकि संरक्षति क्षेत्रों के नकिटवर्ती संवेदनशील पारस्थितिकि तंत्र पर ऐसी गतविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम कयिा जा सके।

बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क

- कर्नाटक के बंगलूरू में स्थति बन्नेरघट्टा उद्यान की स्थापना 1972 में की गई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषति कयिा गया था।
- 2002 में उद्यान के एक हसि्से को जैवकि रज़िर्व बना दयिा गया जसिे बन्नेरघट्टा जैवकि उद्यान कहा जाता है।
- 2006 में देश का पहला ततिली पार्क यहीं स्थापति कयिा गया।
- यहाँ जंगली बल्लियों, भारतीय तेंदुओं, बाघ, चीतों एवं हाथियों को नैसर्गकि रूप से देखा जा सकता है।
- यह एक चड़ियािघर, पालतू जानवरों का कार्नर, पशु बचाव केंद्र, ततिली पार्क, मछलीघर, सांपघर, मगरमच्छ फॉर्म और सफारी पार्क के साथ ही एक लोकप्रयि पर्यटन स्थल भी है।
- कर्नाटक का चड़ियािघर प्राधकिरण, कृषि वज्ञिान वश्विवद्यािलय, बंगलूरू और अशोक ट्रस्ट फॉर रसिर्च इन इकोलॉजी एंड एन्वायरमेन्ट (ATREE), बंगलूरू इसकी सहयोगी एजेंसयिाँ हैं।

बन्नेरघट्टा पार्क के इको-सेंसिटिव ज़ोन में कमी

स्रोत - द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bannerghatta-national-park